945942-235016
CTONN.

पत्रांक– 321 / XXVII(4) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / कोषागार अधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–4 देहरादून · दिनांक 17 अगस्त, 2005

विषय–भारत सरकार के फाइनेन्स एक्ट–2005 की धारा 93 से 112 के अधीन बैंकिंग कैश ट्रान्जैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) काटने के सम्बन्ध में राज्य के संवितरण अधिकारियों के कर्तव्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या–142 / 14 / 2005–टीपीएल, दिनांक 15 जून, 2005 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिष्ठान के व्यक्ति या संगठन यदि बैंक से नकद आहरण करते हैं तब व्यक्ति द्वारा एक दिन में अधिकतम् रू0 25,000 (पच्चीस हजार) तक, व्यक्ति से भिन्न (यथा शासकीय संवितरण अधिकारी द्वारा) एक दिन में अधिकतम् रू0 1,00,000 (एक लाख) तक का आहरण करने पर कोई कर देय नहीं होगा, परन्तु इस सीमा से अधिक धनराशि आहरित करने पर 0.1 प्रतिशत् की दर से बैंकिंग कैश ट्रान्जैक्शन टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली धनराशि से की जायेगी। उत्तरांचल में सरकारी सेवकों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किये जाने वाले सभी प्रमुख भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के निर्देश हैं परन्तु शासनादेश संख्या–235 / 21 / वि0अनु0–1 / 2001, दिनांक 08 दिसम्बर, 2001 के प्रस्तर–8 में पुलिस तथा वन विभाग के कतिपय कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर छूट दी गयी थी कि वह चाहें तो संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) के माध्यम से नकद भुगतान भी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दृष्टि में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब पुलिस एवं वन विभाग सहित सभी सरकारी सेवकों के वेतन / पेंशन सम्बन्धी भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही किये जायें। किसी निजी व्यक्ति अथवा निजी संगठन का भुगतान यदि रू0 2000 (दो हजार) से अधिक हो, तब पूर्व से शासनादेशों में प्राविधान है कि ऐसे भुगतान बैंक खाते के माध्यम से (एकाउन्ट पेयी) किये जायें। अतः इस प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाय कि ऐसे पक्ष यदि स्थानीय हैं तब बैंक खाते के माध्यम से चेक द्वारा अथवा एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाय।

2– शासकीय कार्यों में दिन–प्रतिदिन के पूर्व से निर्दिष्ट छोटे व्ययों (पेटी एक्सपेन्डीचर) यथा पेट्रोल का क्रय / वाहन रखरखाव आदि हेतु कार्यालयाध्यक्ष को पाँच हजार रुपये तथा विभागाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये तक अग्रिम आहरित करने का प्राविधान है, अतः उसी सीमा तक एक दिन में अति आवश्यक प्रकरणों में बैंक से नकद आहरण करने तथा नकद वितरण करने की प्रक्रिया पूर्ववत् बनी रहेगी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ नकद आहरण किया जाना आवश्यक हो, कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर स्पष्ट रूप से "नकद आहरण" लिखा जाये, ताकि कोषागार अनेक देयक के

स्थान पर एक चेक निर्गत करने की प्रक्रिया से भिन्न ऐसे देयकों का स्वतन्त्र चेक निर्गत कर सके।

3— सरकारी कर्मचारियों को वेतन/पेंशन प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित कोषागार के कार्यक्षेत्र के किसी बैंक शाखा में खाता खोला जा सकता है तथा अधिकतर शहरी क्षेत्र में ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटीएम) की भी सुविधा उपलब्ध है, अतः सम्बन्धित संवितरण अधिकारी सरकारी सेवक के विकल्प के अनुसार खाता खुलवा कर वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अग्रिम आदि का भुगतान उसी खाते के माध्यम से भुगतान करें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा सरकारी भुगतान से बैंकिंग कैश ट्रान्जैक्शन टैक्स की कटौती होने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पत्रांक— 32/(1)/XXVII(4)/2005, दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/संवितरण अधिकारी, उत्तरांचल।
3— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
4— रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तरांचल, नई दिल्ली।
5— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6— महालेखाकार, उत्तरांचल।
7— समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
8— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तरांचल एककक, देहरादून।
9— डिप्टी जोनल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक उत्तरांचल, देहरादून कृपया अपनी सभी शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।